न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

प्रकरण सं0 : 02/2021 (21/00147)

अनवान :

1. रामकरण पुत्र चंदूराम जाति बिश्नोई निवासी गुसाईयाना त0 व जिला सिरसा।

-प्रार्थी

बनाम

1. पप्पूदेवी पत्नी आत्माराम पुत्री चंदूराम जाति बिश्नोई नि0 ढाणी मोहब्बतपुर त0 आदमपुर जिला हिसार।
2. रामेश्वर
3. रामस्वरूप
4. छोटू उर्फ रामकिशन
5. लिला देवी
6. राम देवी
7. भगवती

(2 से 7) पुत्र/पुत्रियां चंदूराम जाति बिश्नोई निवासीगण गुसाईयाना त0 व जिला सिरसा।

8. ग्राम पंचायत नेठराना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नेठराना त0 भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 151सीपीसी

उपस्थित : वकील श्री सुनील बैनीवाल - **प्रार्थी**

वकील श्री कृष्ण गर्ग - **अप्रार्थी सं0** 1

आदेश **दिनांक :** 14/7/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि चक 1 बीआरडब्ल्यू पटवार हल्का नेठराना बी के खाता सं0 60/23 के मुरब्बा न0 74 किला न0 12, 13, 16 ता 19, 22 ता 25, मु0 न0 75 के किला न0 20, 21 मु0 न0 80 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 22 ता 25 मु0 न0 81 के किला न0 1, 2, 8 ता 13, 19 ता 22 की कुल 8.8930है0 जिसमें नहरी 8.6020है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0130है0, गै0 मु0 खाला 0.2780है0, इसी प्रकार चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 115/113 के मु0 [illegible] ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 82 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 15 [illegible] 25 [illegible] न0 83 किला न0 21, मु0 न0 85 किला न0 1 ता [illegible] कुल 8.8680है0, जिसमें नहरी 7.7810है0, बारानी [illegible] रास्ता 0.0380है0, गै0 [illegible] खाला 0.0500है0 कृषि भूमि है जिसमें वादी रामक[illegible] के साथ प्रतिवादी सं0 [illegible] 7 संयुक्त रूप से 6/44 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी सं0 1 पप्पूदेवी पुत्री चंदूराम का 3/44 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वादभूमि में नैनोदेवी पत्नी स्व0 चंदूराम द्वारा जरिये दस्तरबरदारी अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 छोटू उर्फ रामकिशन के पक्ष में दिनांक 27.06.2011 नामान्तरण सं0 361 के रूप में किया गया। तथा बाद में प्रतिवादी सं0 4 द्वारा अपना हक व हिस्सा जरिये दस्तरबरदारी दिनांक 21.04.2014 को नामान्तरण सं0 449 के रूप में प्रतिवादी सं0 1 पप्पूदेवी पुत्री चंदूराम के पक्ष में किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरण सं0 361 व 449 विधिविरूद्व तरीके से नियमों की अवहेलना कर जन्मजात शून्य दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया है तथा पक्षकार जब अपना हक व हिस्सा त्याग करता है तो वह नियमानुसार सभी खातेदारों को खून से संबंधित हो एवं एक ही श्रेणी के हो तो उस स्थिति में सभी के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार खोला जाना होता है। परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा गलत रूप से रेस्पोडेन्ट रामकिशन के पक्ष में 2/44 व पप्पूदेवी के पक्ष में 3/44 दोनों खातों में हिस्सा दर्ज करने में कानूनी भूल की है इस प्रकार उक्त दोनों नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। तथा प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि में रेस्पोडेंट के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है कि वह राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज खातेदारी को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी रेस्पोडेंट सं0 1 को पाबंद किया गया कि वे उक्त वादभूमि में अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें व रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें। रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामिल होने के उपरान्त गैर सायल सं0 1 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें कथन किया गया कि दरख्वास्त प्रार्थी ना काबिल चलने के है जो कि अप्रार्थी सं0 1 बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है और उसका हक व हिस्सा उसी के कब्जाकाश्त में है तथा दरख्वास्त के पक्ष में प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अप्रार्थी सं0 1 से उसे कोई नुकसान हो। तथा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तरबरदारी है जिन्हें सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं है इस प्रकार प्रार्थी का कोई भी हक व हित अप्रार्थी सं0 1 से प्रभावित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र काबिले खारीज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:26 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में सायल ने गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पाबंद/खारीज हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है।

बिन्दू सं0 1 प्रथम दृष्टया मामला :– चक 1 बीआरडब्ल्यू पटवार हल्का नेठराना बी के खाता सं0 60/23 के मुरब्बा न0 74 किला न0 12, 13, 16 ता 19, 22 ता 25, मु0 न0 75 के किला न0 20, 21 मु0 न0 80 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 22 ता 25 मु0 न0 81 के किला न0 1, 2, 8 ता 13, 19 ता 22 की कुल 8.8930है0 जिसमें नहरी 8.6020है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0130है0, गै0 मु0 खाला 0.2780है0, इसी प्रकार चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 115/113 के मु0 न0 81 किला न0 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 82 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 25 मु0 न0 83 किला न0 21, मु0 न0 85 किला न0 1 ता 3, मु0 न0 86 किला न0 3 ता 5 कुल 8.8680है0, जिसमें नहरी 7.7810है0, बारानी 0.9990है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0380है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 कृषि भूमि है जिसमें वादी रामकरण के साथ प्रतिवादी सं0 2 ता 7 संयुक्त रूप से 6/44 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी सं0 1 पप्पूदेवी पुत्री चंदूराम का 3/44 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र 151सीपीसी से संबंधित अपील में प्रार्थी द्वारा पेश धारा 5 मियाद अधिनियम पर अप्रार्थी सं0 1 व 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर ज्ञात हुआ कि उक्त दस्तरबरदारियों की शुरू दिन से ही प्रार्थी को जानकारी थी व वर्ष में दो बार हल्का पटवारी द्वारा काश्त बाबत गिरदावरी की जाती है व हिस्सानुसार पानी की पर्ची जारी की जाती है इस प्रकार प्रार्थी के कथन कतई मोहमिल होने के कारण स्वीकर नहीं है। तथा प्रार्थी ने ना ही प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पेश कर न्यायालय को अवगत करवाया कि प्रार्थी एक पीडित व्यक्ति है तथा उसे ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। प्रार्थी ने संबंधित अपील में नामान्तरण सं0 361 व 449 को खारीज कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है जबकि उक्त दस्तरबरदारियों के अनुसार नामान्तरण दर्ज किये गये है चुंकि दस्तरबरदारी एक रजिस्टर्ड वैध दस्तावेज है जिसे निरस्त करने का क्षैत्राधिकारी सिविल न्यायालय के पास है प्रार्थी द्वारा अपील में भी उक्त दस्तरबरदारियों को निरस्त करवाये बिना नामान्तरण सं0 361 व 449 को निरस्त नहीं किये जा सकते। और ना ही रिर्कोडेड खातेदार के विरूद्ध बिना किसी कानूनी कारण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पेश नजीरें हस्तगत प्रार्थना पत्र पर चस्पा नहीं होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का नहीं बनना पाया जाता है।

बिन्दु सं0 2 व 3 सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति :– चूंकि वाद प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे नहीं बनना पाया गया है। अप्रार्थी सं0 1 अपने हक व हिस्से पर काबिज है तथा प्रार्थी को अपने हक व हिस्से पर कसोसी व अन्य किसी प्रकार के उपभोग पर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे ये साबित हो कि अप्रार्थी सं0 1 से उसे कोई नुकसान होता हो व अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सं0 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेजात दस्तरबरदारी है जिन्हें कोई चुनौती सक्षम न्यायालय में नहीं है इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 1 से भारी असूविधा व अपूर्णिय क्षति होना सिद्व नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहा है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15/7/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:26 IST
Reason: SelfAttested